UPAG010060812026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01906

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2580/2026

राजेन्द्र शर्मा पुत्र देवी प्रसाद शर्मा निवासी– गांव मिर्जापुर थाना मलपुरा, जिला आगरा उम्र करीब 34 वर्ष

.....अभियुक्त

प्रति

राज्य ..... अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0: 890/2018
धाराः 147,498ए,323,342 भा0द0सं0
व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थानाः मलपुरा, आगरा

दिनांकः 01.07.2026

मुकदमा अपराध सं0 890/2018 अन्तर्गत धारा– 147,498ए,323,342 भा0द0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना मलपुरा, आगरा में वांछित अभियुक्त राजेन्द्र शर्मा की ओर से धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 26.07.2024 को बल न दिये जाने के आधार पर निरस्त किया गया है।

अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि अभियुक्त फौज की नौकरी में होने के कारण अधिकतर नौकरी पर रहता है। वादिनी अभियुक्त पर कैम्प में उसके साथ रहने के लिए दबाव बनाती थी। प्रकरण में आरोप पत्र के विरूद्ध अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 14272/2019 राजेन्द्र शर्मा आदि दाखिल किया गया था, जिसे मीडिएशन हेतु प्रेषित किया गया, एवं अग्रिम दिनांक तक अभियुक्त के विरूद्ध प्रपीड़नात्मक कार्यवाही न करने का आदेश पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रकरण की कार्यवाही स्थगित चल रही थी।

इसी दौरान दिनांक 21.07.2023 को छह माह के अन्दर स्थगन आदेश की विस्तार हेतु विनिर्दिष्ट आदेश पारित न करने पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध समन निर्गत कर दिये गये। उसके उपरान्त सह अभियुक्तगण की जमानत अवर न्यायालय से हो गयी। सह अभियुक्तगण की जमानत होने के उपरान्त अभियुक्त द्वारा भी सम्बन्धित न्यायालय में दिनांक 04.12.2023 को आत्मसमर्पण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अन्तरिम जमानत प्रदान करते हुए दिनांक 20.12.2023 एवं 08.01.2024 नियत की गयी। विभाग द्वारा देश सुरक्षा की इमरजेंसी के कारण छुट्टी नहीं बढ़ाी गयी, इस कारण दिनांक 08.01.2024 को अभियुक्त आत्मसमर्पण नहीं कर सका एवं उसकी अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा वारण्ट जारी कर दिये गये। अवकाश मिलने पर अभियुक्त द्वारा दिनांक 10.07.2024 को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु तत्समय प्रकरण की कार्यवाही स्थगित होने के कारण अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर दिनांक 26.07.2024 को बल नहीं दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.2026 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 संख्या 14272/2019 निरस्त कर दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी की आशंका है,अतएव अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा कहा गया कि अभियुक्त द्वारा अंतरिम जमानत आदेश के अनुपालन में सम्बन्धित न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया गया एवं अंतरिम जमानत का दुरूपयोग किया गया है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा के तर्क सुने तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार वादिनी श्रीमती उमादेवी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर प्रकरण की प्राथमिकी आवेदक/अभियुक्त राजेन्द्र शर्मा एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज की गयी, जिसमें विवेचना के उपरान्त अभियुक्त राजेन्द्र शर्मा तथा सह अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2019 को संज्ञान लिया गया। प्रकरण की कार्यवाही के दौरान अभियुक्त राजेन्द्र शर्मा द्वारा सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.12.2023 को आत्मसमर्पण एवं जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसे आदेश दिनांकित 04.12.2023 के माध्यम से अन्तरिम जमानत प्रदान की गयी

एवं नियमित जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई हेतु तिथि नियत की गयी। परन्तु नियमित जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई की दिनांक 08.01.2024 को सम्बन्धित न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त के विरूद्ध अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किये गये। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त सेना में नियुक्त है तथा उसे अवकाश न मिलने के कारण, वह नियत दिनांक पर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर सका।

इसके सापेक्ष पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों से परिलक्षित होता है कि अभियुक्त राजेन्द्र शर्मा एवं सह अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष योजित प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 संख्या 14272/2019 की सुनवाई के समय भी अभियुक्तगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.02.2026 के माध्यम से याचिका इस प्रेक्षण के अधीन निरस्त की गयी कि पक्षगण के मध्य मीडिएशन पूर्ण हुआ, परन्तु पक्षगण किसी भी अनुबंध तक नहीं पहुंच सके हैं। इस प्रकार उपलब्ध प्रपत्रों एवं माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुसार अभियुक्त राजेन्द्र शर्मा द्वारा सम्बन्धित न्यायालय द्वारा प्रदत्त अन्तरिम जमानत के अनुपालन में आत्मसमर्पण नहीं किया गया, न ही माननीय उच्च न्यायालय में योजित कार्यवाही में भी अभियुक्त की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.02.2026 के माध्यम से याचिका निरस्त की जा चुकी है। अभियुक्त राजेन्द्र शर्मा के प्रकरण में लगभग सात वर्ष तक उपस्थित न होने के कारण, प्रकरण का विचारण विलम्बित हुआ है।

अतएव मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थतियों एवं सम्बन्धित न्यायालय द्वारा प्रदत्त अंतरिम जमानत के अनुपालन में अभियुक्त द्वारा आत्मसमर्पण न करने को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है एवं अभियुक्त राजेन्द्र शर्मा का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त राजेन्द्र शर्मा का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,आगरा
01.07.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.07.01 16:40:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court